भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2192

14 मार्च, 2023 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर में कमी"

2192. श्री ए. राजा:

श्री ए. गणेशमूर्ति:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान बैटरी विनिर्माण क्षमताओं और चार्जिंग अवसंरचना सुविधाओं में सुधार हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इलेक्ट्रिक वाहनों पर कर में कमी, विनिर्माता के लिए सरकार से प्राप्त भूमि की खरीद अथवा पट्टे पर स्टाम्प शुल्क पर छूट की अनुमति दी गई है ताकि लोग पेट्रोल/डीजल वाहनों के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर सकें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): भारी उद्योग मंत्रालय ने निम्नलिखित तीन स्कीमों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों और विनिर्माताओं को आर्थिक प्रोत्साहन दिया है:

i. **भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया):** सरकार ने फेम इंडिया स्कीम के चरण-।। को 10,000 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता से 1 अप्रैल, 2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया है। फेम-इंडिया स्कीम, चरण-।। के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद मूल्य में अग्रिम छूट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। यह प्रोत्साहन बैटरी क्षमता से जुड़ा है अर्थात् ई-तिपहिया और ई-चौपहिया वाहनों के लिए 10,000 रुपये/किलोवाट घंटा जो वाहन लागत की 20% प्रतिशत सीमा के अध्यधीन है। साथ ही, 11 जून, 2021 से ई-दुपहिया के लिए वाहन लागत सीमा को 20% से बढ़ाकर 40% करते हुए आर्थिक प्रोत्साहन/सब्सिडी को 10,000 रुपये/किलोवाट घंटे से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटे कर दिया गया है।

ii. **ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम:** सरकार ने वाहनों के घरेलू विनिर्माण को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए पीएलआई स्कीम को दिनांक 15 सितंबर, 2021 को अनुमोदित किया। इलेक्ट्रिक वाहनों को इस पीएलआई स्कीम के तहत कवर किया गया है।

iii. **उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के लिए पीएलआई स्कीम:** सरकार ने देश में एसीसी के विनिर्माण के लिए पीएलआई स्कीम को 18,100 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय से 12 मई, 2021 को अनुमोदित किया। इस स्कीम में देश में 30 गीगावाट घंटे के लिए प्रतिस्पर्धी एसीसी बैटरी विनिर्माण केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। साथ ही, 5 गीगावाट घंटे की उत्कृष्ट एसीसी प्रौद्योगिकियों को भी इस स्कीम में शामिल किया गया है।

(ख) और (ग): जी, हां। पीएलआई एसीसी स्कीम के तहत तीन इकाइयों को प्रदत्त एसीसी क्षमता है- राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (5 गीगावाट घंटा), ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड (20 गीगावाट घंटा) और रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड (5 गीगावाट घंटा)।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों एवं फेम इंडिया स्कीम के चरण-II के अंतर्गत 9 एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों पर 1576 चार्जिंग स्टेशनों की संस्वीकृति दी है।

(घ): इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है; इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जरों/चार्जिंग स्टेशन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

****